न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-500Ju2025-233 Godaram Vs Sohanram etc

गोदाराम पुत्र श्री जेठाराम, जाति भील, निवासी भील बस्ती ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब
ना
म

1. सोहनराम मलधर पुत्र श्री पुनाराम, जाति भील
2. रामचन्द्र पुत्र श्री पुनाराम, जाति भील
   निवासीगण – अम्बेडकर कॉलोनी, बोरानाडा, जोधपुर।
3. तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 01 अक्टूबर 2014 राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री रितेश नागौरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 26 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 294 रकबा 27 बीघा ग्राम बोरानाडा तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

झंवर के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2014 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादाग्रस्त भूमि खसरा संख्या 294 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बोरानाडा के 1/5 हिस्से में से 1/3 हिस्से में अपीलार्थी व उसके पिता का कब्जा काश्त वक्त बंदोबस्त से ही चला आ रहा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि का लगान संवत 2012 से लगान बंद होने तक अपीलार्थीगण द्वारा अपने हिस्से का लगान अदा किया गया है तथा अपने हिस्से की भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त वक्त बंदोबस्त से ही चला आ रहा है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायलय के समक्ष वंशावली पेश कर वादग्रस्त आराजीयात में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी प्राप्त की गई है, जबकि विवादित भूमि वादीगण/रेस्पो. की पैतृक भूमि नहीं थी, बल्कि बीरमराम के तीन पुत्रो मुकिया, रावतीया व गिरदारिया को ही आंवटित की गई थी। अतः उक्त विवादित भूमि में नैनाराम का नाम सैटलमेंट कर्मचारियों की भूल से पीछे नहीं छोडा गया बल्कि बीरमराम के तीन पुत्रो मुकिया, रावतीया व गिरदारीया को ही आवंटित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सोच समझे मामले की उचित जॉच किये बिना ही तथा पक्षकारों की सुनवाई किये बिना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर बिना साक्ष्य, सुनवाई व दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित पारित किये गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण विधि अनुसार नहीं किया गया है तथा विधिविरूद्ध पारित किए गए आदेश के विरुद्ध म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है तथा आलौच्य निर्णय शुरू से ही शून्य होने के कारण म्याद बिन्दु प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं थी तथा जब जानकारी हुई तो तुरंत उसके द्वारा आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त की गई। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण उसको कानूनी ज्ञान नहीं है। इस कारण वह समय पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाए। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर अपील को देरी से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2014 निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी ग्राम बोरानाडा तहसील जोधपुर संवतः 2011–2030 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 294 रकबा 27 बीघा के 1/5 वे हिस्से की खातेदारी खातेदार मुकीया, रावतीया, गिरदारिया पि. बीरम के नाम से दर्ज है, जबकि चतुर्वर्षीय खसरा गिरदावरी संवतः 2014 से 2017 तथा संवतः 2018 से 2021 में वादग्रस्त आराजीयात के 1/5 वे हिस्से में खातेदार मुकीया, रावतीया, गिरदारिया के साथ–साथ वादीगण के दादा नेनीया की भी काश्त दर्ज है। उक्त दस्तावेजों साबित है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण को उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार घोषित कर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के उज्र उठाये गये है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन पावति रिपोर्ट मुताबिक अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। अपीलांट द्वारा इतनी लंबी अवधि बाद बिना कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल तकनीकी आधार पर मामले को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में गुणावगुण पर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2014 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-500Ju2025-233 Godaram Vs Sohanram etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
गोदाराम पुत्र श्री जेठाराम, ज़ाति भील, निवासी भील बस्ती ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. सोहनराम मलधर पुत्र श्री पुनाराम, जाति भील 2. रामचन्द्र पुत्र श्री पुनाराम, जाति भील निवासीगण – अम्बेडकर कॉलोनी, बोरानाडा, जोधपुर। 3. तहसीलदार झंवर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 01 अक्टूबर 2014 राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि

———— 0 ————

यह अपीले बतारीख 18 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री रितेश नागौरी, मिनजानिब अपीलाण्ट, एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 62/2013 सोहनराम व अन्य बनाम रूपाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अक्टूबर 2014 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ————00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00———— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम्प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर